सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India

मिसिल सं.: RG-8/1/(9)/2021-B AND CS(1 AND 3) **दिनांक: 1st June 2022**

विषय: कार्यान्वयन योजना - नया विनियामक ढांचा 2020

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) ने, दिनांक 03 फरवरी 2022 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से, सभी प्रसारकों को 28 फरवरी 2022 तक नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार, नाम, स्वरूप, भाषा, चैनलों के प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और बुके की संरचना और एमआरपी में किसी भी बदलाव के बारे में प्राधिकरण को सूचित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक पे चैनलों के वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी) और पे चैनलों के बुके और पे और फ्री-टू-एयर (एफटीए) चैनलों के बुके की संरचना के बारे में प्राधिकरण को सूचित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सभी वितरकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 1 जून 2022 से ग्राहकों को सेवाएं उनके द्वारा चुने गए बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जाएं।

2. हालांकि, प्राधिकरण को डीपीओ, स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के संघों और उपभोक्ता संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें नए विनियामक ढांचे 2020 को लागू करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया। उक्त अभ्यावेदनों के आधार पर, भादूविप्रा ने औपचारिक/अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ना शुरू किया।

3. इसके बाद, भादूविप्रा के तत्वावधान में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे, ताकि उपभोक्ताओं के लाभ को ध्यान में रखते हुए नए विनियामक ढांचे 2020 के प्रावधानों के सुचारू कार्यान्वयन की प्रक्रिया को देखा जा सके और इसके उपायों का सुझाव दिया जा सके और प्रसारण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए काउंटर उपायों के साथ बाधाओं की पहचान की जा सके।

4. उक्त समिति ने नए विनियामक ढांचे 2020 से संबंधित कई मुद्दों को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। हितधारकों ने भी प्राधिकरण से महत्वपूर्ण मुद्दों का तुरंत समाधान करने का अनुरोध किया जो दिनांक 01 जनवरी 2020 के दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाओं (आठवें) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2020 (2020 का 1) को सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु लागू किया जा सके।

1/6/2022

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरु मार्ग / Mahanagar Doorsanchar Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg
(ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली-110002 / (Old Minto Road), New Delhi-110002
फैक्स /Fax : +91-11-23213294, ईपीबीएक्स नं. /EPBX No. : +91-11-23664145

आज़ादी का अमृत महोत्सव

5. उक्त समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों को हल करने के लिए, प्राधिकरण ने "प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों" पर 07 मई 2022 को परामर्श पत्र संख्या 05/2022 जारी किया। चल रही परामर्श प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, उक्त पत्र दिनांक 03 फरवरी 2022 के तहत प्रदान की गई समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

6. इसलिए अब, सभी प्रसारक **31 अगस्त 2022** तक नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार, नाम, प्रकृति, भाषा, चैनलों के प्रति माह एमआरपी, और चैनलों के बुके की संरचना और एमआरपी में किसी भी बदलाव के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही ऐसी सूचनाओं को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करेंगे। जिन प्रसारकों ने नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुपालन में अपने आरआईओ को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी **31 अगस्त 2022** तक अपने आरआईओ को संशोधित कर सकते हैं।

7. इसके अलावा, सभी डीपीओ **30 सितंबर 2022** तक, पे चैनलों के डीआरपी और पे चैनलों के बुके, और पे और एफटीए चैनलों के बुके की संरचना को नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही ऐसी जानकारी को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करेंगे। डीपीओ जिन्होंने नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुपालन में अपने आरआईओ को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी **30 सितंबर 2022** तक अपने आरआईओ को संशोधित कर सकते हैं।

8. इसके अलावा, टेलीविजन चैनलों के सभी वितरक यह सुनिश्चित करेंगे कि **30 नवंबर 2022** से ग्राहकों को सेवाएं उनके द्वारा चुने गए बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जाएं।

9. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

अनिल कुमार
1/6/2022

(अनिल कुमार भारद्वाज)
सलाहकार (बी एंड सीएस)

प्रति

प्रसारकों और डीपीओ